न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 744/2024

अनवान : –

1. छोटूलाल पुत्र श्री गोपीराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजूराम पुत्र गोपीराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरत सिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 35/27 के प0न0 329/424(56) के किला न0 25 की 0.253 हैक्ट, प0न0 329/425 (63) के किला न0 5/1 की 0.025 हैक्ट, 5/2 की 0.228 हैक्ट, 6 की 0.253 हैक्ट, प0न0 330/424 (55) के किला न0 21 की 0.253, प0न0 330/425 (64) के किला न0 1 की 0.253 हैक्ट, 2 की 0.253 हैक्ट, 9 की 0.253 हैक्ट, 10 की 0.253 हैक्ट, 11/1 की 0.012 हैक्ट, 11/2 की 0.228 हैक्ट कुल 2.2640 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 98/89 के प0न0 329/426 (56) के किला न0 23 की 0.253 हैक्ट, 24 की 0.253 हैक्ट, प0न0 329/425 (63) के किला न0 3/1 की 0. 026 हैक्ट, 3/2 की 0.227 हैक्ट, 4/1 की 0.025 हैक्ट, 4/2 की 0.228 हैक्ट, 7 की 0.253 हैक्ट, 8 की 0.253 हैक्ट, 14 की 0.253 हैक्ट, 15 की 0.240 हैक्ट, प0न0 330/425 (64) के किला न0 12 की 0.190 हैक्ट कुल 2.2010 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता स0 35/27 की कुल 2.2640 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 98/89 की 2.2010 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है जिनको यह भूमि उनके पिता से प्राप्त हुई थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण भूमि का खाता अलग अलग तकसीम करवा लिया जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 98/89 की कुल 2.2010 हैक्ट भूमि के प0न0 330/425 (64) के किला न0 12 की 0.190 हैक्ट भूमि रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है लेकिन किला न0 12 की सम्पूर्ण भूमि वादी के कब्जा काश्त में है तथा चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 35/27 की कुल 2.2640 हैक्ट भूमि के प0न0 329/425 (63) के किला न0 6 की 0.253 हैक्ट भूमि में से 10 बिस्वा (0.1265 हैक्ट) भूमि व प0न0 330/425 (64) के किला न0 11/2 की 0.228 हैक्ट भूमि में से 8 बिस्वा (1.1012 हैक्ट) हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज है लेकिन इन किलो की 0.227 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में है। वाद भूमि एक ही चक की है लेकिन खाता विभाजन मे किल गलत [illegible] ये है। किला न0 12 की भूमि पर वादी काबिज है तथा किला न0 6 व 11/2 की [illegible] काबिज है। अतः मुताबिक कब्जा उक्त किलो को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी पेश की जो कि शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है जिनको यह भूमि उनके पिता से प्राप्त हुई थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण भूमि का खाता अलग अलग तकसीम करवा लिया जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 98/89 की कुल 2.2010 हैक्ट भूमि के प0न0 330/425 (64) के किला न0 12 की 0.190 हैक्ट भूमि रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है लेकिन किला न0 12 की सम्पूर्ण भूमि वादी के कब्जा काश्त में है तथा चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 35/27 की कुल 2.2640 हैक्ट भूमि के प0न0 329/425 (63) के किला न0 6 की 0.253 हैक्ट भूमि में से 10 बिस्वा (0.1265 हैक्ट) भूमि व प0न0 330/425 (64) के किला न0 11/2 की 0.228 हैक्ट भूमि में से 8 बिस्वा (1.1012 हैक्ट) हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज है लेकिन इन किलो की 0.227 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में है। वाद भूमि एक ही चक की है लेकिन खाता विभाजन मे किल गलत दर्ज हो गये है। किला न0 12 की भूमि पर वादी काबिज है तथा किला न0 6 व 11/2 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 98/89 की कुल 2.2010 हैक्ट भूमि [illegible] संख्या 1 के तथा रोही मोजा चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता [illegible] हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादी [illegible] 1 दोनो सगे भाई है जिनको यह भूमि उनके पिता से प्राप्त हुई थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण भूमि का खाता अलग अलग तकसीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करवा लिया जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 98/89 की कुल 2.2010 हैक्ट भूमि के प0न0 330/425 (64) के किला न0 12 की 0.190 हैक्ट भूमि रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है लेकिन किला न0 12 की सम्पूर्ण भूमि वादी के कब्जा काश्त में है तथा चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 35/27 की कुल 2.2640 हैक्ट भूमि के प0न0 329/425 (63) के किला न0 6 की 0.253 हैक्ट भूमि में से 10 बिस्वा (0.1265 हैक्ट) भूमि व प0न0 330/425 (64) के किला न0 11/2 की 0.228 हैक्ट भूमि में से 8 बिस्वा (1.1012 हैक्ट) हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज है लेकिन इन किलो की 0.227 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में है। वाद भूमि एक ही चक की है लेकिन खाता विभाजन मे किल गलत दर्ज हो गये है। किला न0 12 की भूमि पर वादी काबिज है तथा किला न0 6 व 11/2 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी कथनो को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 98/89 के प0न0 330/425(64) के किला न0 12 की 0.190 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्त घोषित किया जाता है तथा चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 35/27 के प0न0 329/425(63) के किला न0 6 की 0.253 हैक्ट भूमि में से पश्चिमी दिशा की 0.1265 हैक्ट भूमि व प0न0 330/425 (64) के किला न0 11/2 की 0.228 हैकट भूमि में से पश्चिमी दिशा की 0.1012 हैकट भूमि वादी के नाम दर्ज है में वादी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:08 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 744 / 2024

अनवान : –

1. छोटूलाल पुत्र श्री गोपीराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजूराम पुत्र गोपीराम जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 744 सन 2024 निर्णय दिनांक 12/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 98 / 89 के प0न0 330 / 425(64) के किला न0 12 की 0.190 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्त घोषित किया जाता है तथा चक 26 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 35 / 27 के प0न0 329 / 425(63) के किला न0 6 की 0.253 हैक्ट भूमि में से पश्चिमी दिशा की 0.1265 हैक्ट भूमि व प0न0 330 / 425 (64) के किला न0 11 / 2 की 0.228 हैकट भूमि में से पश्चिमी दिशा की 0.1012 हैकट भूमि वादी के नाम दर्ज है में वादी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:08 IST
Reason: SelfAttested